गुजरात सरकार राजपत्र

असाधारण

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित

भाग-4

गुजरात विधानमंडल के अधिनियम तथा राज्यपाल द्वारा घोषित अधिनियम तथा बनाए गए विनियम

गुजरात विधानमंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिसे 29 मार्च, 2004 को राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान की गई है, इसके द्वारा सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है

एस एस परमार
सचिव, गुजरात सरकार
विधायी तथा संसदीय कार्य विभाग
गुजरात अधिनियम संख्या 2004 का 11

(राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाने के बाद 20 मार्च, 2004 को पहली बार गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित किया गया)

अधिनियम

गुजरात राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रचालन, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं प्रशासन का प्रावधान करने के लिए और एक प्राधिकरण का गठन करने तथा इससे संबंधित और इससे आनुषंगिक मामलों के लिए

इसके द्वारा भारत गणराज्य के 55वें वर्ष में निम्नानुसार अधिनियमित किया जाता है:

अध्याय-1 : प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रारंभ : (1) इस अधिनियम को गुजरात विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2004 कहा जाएगा।**

(2) यह संपूर्ण गुजरात राज्य पर लागू होगा।

(3) इस खंड को 10 फरवरी, 2004 को प्रयोज्य समझा जाएगा तथा शेष प्रावधान ऐसी तिथि को लागू होंगे जो सरकारी राजपत्र में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्धारित कर सकती है।

2. **परिभाषाएं : इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ के तहत अन्यथा अपेक्षित न हो, -**

(क) "सुविधाओं'' का अभिप्राय बुनियादी एवं आवश्यक सेवाओं जैसे कि सड़क, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट, विद्युत आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, औद्योगिक एवं टाउनशिप अपशिष्ट के संग्रहण, शोधन एवं निस्तारण, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, अग्निशमन सेवाओं, सार्वजनिक पार्क, क्लब, बाजार, शॉप एवं अन्य आउटलेट तथा ऐसी अन्य सुविधाओं या सेवाओं से है जिसे सरकारी राजपत्र में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है;

(ख) "प्राधिकरण'' का अभिप्राय खंड-4 के तहत स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण से है;

(ग) "सह विकासक'' का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसमें एसईजेड में संपूर्ण अवसंरचना सुविधाओं या उसके किसी भाग का विकास करने, निर्माण करने, डिजाइन करने, आयोजन करने, बढ़ावा देने, प्रचालन करने, अनुरक्षण या प्रबंधन करने के लिए विकासक के साथ करार किया है;

(घ) "विकासक'' का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय, कंपनी, फर्म तथा ऐसे अन्य निजी या सरकारी उपक्रम से है जो एसईजेड में संपूर्ण अवसंरचना सुविधाओं या उसके किसी भाग का विकास करता है, निर्माण करता है, डिजाइन करता है, आयोजन करता है, बढ़ावा देता है, प्रचालन करता है, अनुरक्षण या प्रबंधन करता है तथा भारत सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है;

(ङ) "विकास आयुक्त'' का अभिप्राय इस अधिनियम के तहत विकास आयुक्त के कार्यों का निर्वहन करने के लिए भारत सरकार द्वारा एसईजेड के लिए नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) "विकास समिति'' का अभिप्राय धारा-12 के तहत गठित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति से है;

(छ) "घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र'' का अभिप्राय भारत के अंदर एसईजेड क्षेत्र से बाहर किसी क्षेत्र से है;

(ज) "अवसंरचना सुविधाओं'' का अभिप्राय विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास एवं प्रचालन के लिए औद्योगिक, वाणिज्यिक या किसी अन्य सुविधा से है तथा इसमें कोई अन्य अवसंरचना एवं सुविधा शामिल है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकती है;

(झ) "प्रचालक'' का अभिप्राय विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवसंरचना सेवाएं, सुविधाएं प्रदान करने के लिए विकासक द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ञ) "निर्धारित'' का अभिप्राय नियमों द्वारा निर्धारित से है;

(ट) "प्रसंस्करण क्षेत्र'' का अभिप्राय सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर अनुमोदित क्षेत्र से है;

(ठ) "विनियम'' का अभिप्राय इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों से है;

(ड) "नियम'' का अभिप्राय इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों से है;

(ढ) "विशेष आर्थिक क्षेत्र या क्षेत्र'' का अभिप्राय भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र से है;

(ण) "यूनिट'' का अभिप्राय ऐसी संपूर्ण या आंशिक यूनिट या उपक्रम से है जो विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपने व्यवसाय का प्रचालन करती है तथा यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा इस रूप में अनुमोदित है;

(त) "यूनिट अनुमोदन समिति'' का अभिप्राय धारा-8 के तहत गठित समिति से है।

अध्याय-2 : विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना

3. विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना तथा विकासक की नियुक्ति : (1) विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का इच्छुक कोई व्यक्ति राज्य सरकार को ऐसे विवरणों एवं दस्तावेजों से युक्त तथा ऐसे शुल्क के साथ ऐसे फार्म में आवेदन करेगा जो निर्धारित किया जा सकता है।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के तहत प्राप्त आवेदन की जांच करेगी तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में क्षेत्र की घोषणा करने और मंजूरी प्रदान करने तथा ऐसे क्षेत्र के लिए विकासक की नियुक्ति के लिए भारत सरकार को संशोधन, यदि कोई हो, के साथ उसकी सिफारिश करेगी।

अध्याय-3 : विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण

4. विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन : (1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक प्राधिकरण होगा जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कहा जाएगा।

(2) प्राधिकरण शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुहर के साथ निगमित निकाय होगा तथा अपने निगमित नाम में मुकदमा कर सकता है या उस पर मुकदमा किया जा सकता है।

(3)

(क) प्राधिकरण में एक अध्यक्ष होगा;

(i) मुख्य सचिव, गुजरात सरकार, पदेन जो अध्यक्ष होंगे;

(ii) सचिव, गुजरात सरकार, उद्योग एवं अन्य विभाग, पदेन;

(iii) सचिव, गुजरात सरकार, ऊर्जा एवं पेट्रो रसायन विभाग, पदेन;

(iv) सचिव, गुजरात सरकार, वित्त विभाग, पदेन;

(v) सचिव, गुजरात सरकार, नर्मदा, जल संसाधन, जलापूर्ति तथा कल्पसार विभाग, पदेन;

(vi) सचिव, गुजरात सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग, पदेन;

(vii) सचिव, गुजरात सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग, पदेन;

(viii) सचिव, गुजरात सरकार, शहरी विकास एवं शहर आवास विभाग, पदेन;

(ix) सचिव, गुजरात सरकार, राजस्व विभाग, पदेन;

(x) उद्योग आयुक्त, गुजरात राज्य, पदेन;

(xi) विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक क्षेत्र, पदेन;

(xii) प्राधिकरण के सदस्य सचिव,

(ख) प्राधिकरण अपने कार्यों के दक्ष निर्वहन के लिए ऐसे अन्य सदस्यों को सहयोजित कर सकता है जिसे यह आवश्यक समझे।

(ग) प्राधिकरण आवश्यक होने पर प्राधिकरण की किसी बैठक में विकासक या उसके प्रतिनिधि को आमंत्रित कर सकता है।

स्पष्टीकरण : उपधारा (3) के प्रयोजनार्थ "सचिव'' शब्द में विभाग के प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव शामिल हैं।

5. प्राधिकरण का मुख्यालय तथा बैठक : (1) प्राधिकरण का मुख्यालय गांधीनगर में या ऐसे अन्य स्थान पर होगा जिसे सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार निर्दिष्ट कर सकती है।

(2) प्राधिकरण की बैठकें उतनी बार और ऐसे स्थानों पर होंगी तथा यह अपनी बैठकों में अपने कार्य के संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा निर्धारित हो सकते हैं।

(3) प्राधिकरण में किसी रिक्ति की मौजूदगी या इसके गठन में दोष के कारण प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही अमान्य नहीं होगी।

6. प्राधिकरण के कार्य एवं शक्तियां : (1) प्राधिकरण के कार्यों में राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र का नियोजित विकास सुनिश्चित करना शामिल होगा तथा यह राज्य में एसईजेड के संवर्धन, विकास एवं कामकाज के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा।

(2) एसईजेड के विकास के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी तथा निम्नलिखित कार्य संपन्न करेगा; अर्थात :

(क) गुजरात अवसंरचना विकास अधिनियम, 1999 में कोई बात निहित होने के बावजूद एसईजेड में संपूर्ण या आंशिक रूप में अवसंरचना सुविधाओं एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार को विकासक के नाम की ऐसे ढंग से सिफारिश करना जो निर्धारित हो सकता है;

(ख) भूमि प्रयोग, फर्शी क्षेत्र स्तर, पर्यावरणीय प्रावधान, सुरक्षा के उपायों तथा ऐसे अन्य मामलों के संबंध में एसईजेड के विकास के लिए दिशानिर्देश तैयार करना, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा निदेश दिए जा सकते हैं;

(ग) जब एसईजेड राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाले निगम द्वारा स्थापित किया जाना हो, तो एसईजेड के विकास के लिए तकनीकी – आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना जो अपेक्षित हो सकती है;

(घ) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत सहमति करार या कार्यवाही द्वारा एसईजेड में भूमि का अधिग्रहण करना;

(ड.) एसईजेड में सरकारी भूमि के आवंटन के लिए ऐसे ढंग से मंजूरी प्रदान करना जो निर्धारित हो सकता है;

(च) जब एसईजेड राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाले निगम द्वारा स्थापित किया जाना हो, तो एसईजेड की परियोजना के विभिन्न घटकों या गतिविधियों के विकास के लिए संयुक्त उद्यम करार करना;

(छ) राज्य सरकार के विभागों तथा केंद्र सरकार के विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना तथा एसईजेड की परियोजनाओं एवं योजनाओं का समय से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(ज) एसईजेड के विकास के लिए ऐसे अन्य कार्य करना जो भारत सरकार द्वारा आवंटित किए जा सकते हैं;

(झ) ऐसे अन्य कार्य करना जो राज्य सरकार द्वारा आवंटित किए जा सकते हैं।

(3) उपधारा (1) और (2) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव के बगैर प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करेगा, अर्थात:

(क) अनुमोदित मास्टर प्लान का अनुपालन सुनिश्चित करना और यह प्लान में किसी संशोधन को अनुमोदित कर सकता है यदि विकासक द्वारा अपेक्षित होगा तथा विकासक द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए नगर आयोजना एवं शहरी विकास मानक के लिए मार्गदर्शक दिशानिर्देश प्रदान करना;

(ख) विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास बोर्ड, यूनिट अनुमोदन समिति, विकास समिति तथा अन्य समितियों में आवश्यकता के अनुसार सदस्य नामित करना;

(ग) संबंधित एसईजेड की यूनिट अनुमोदन समिति तथा विकास समिति की गतिविधियों तथा अनुपालन पर नजर रखना तथा मार्गदर्शन प्रदान करना;

(घ) एसईजेड के किसी विशिष्ट कार्य के निष्पादन के लिए ऐसी अन्य समितियों का गठन करना जो आवश्यक हो सकती हैं।

(4) सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकरण विकास आयुक्त को या एसईजेड की विकास समिति को ऐसी शर्तों पर अपनी ऐसी शक्तियों एवं कार्यों का प्रत्यायोजन कर सकता है जो आदेश में निर्दिष्ट हो सकते हैं।

7. प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी : (1) प्राधिकरण अपने कार्यों के निर्वहन के लिए सदस्य सचिव तथा ऐसे अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है जिसे यह आवश्यक समझे।

(2) उपधारा (1) के तहत नियुक्त सदस्य सचिव, अधिकारी एवं कर्मचारी सेवा की ऐसी शर्तों एवं नियमों द्वारा अभिशासित होंगे, जो विनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

(3) सदस्य सचिव, अधिकारी और कर्मचारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो प्राधिकरण द्वारा उनको सौंपे जा सकते हैं।

अध्याय-4 : यूनिट अनुमोदन समिति

8. यूनिट अनुमोदन समिति : (1) एसईजेड के लिए भारत सरकार द्वारा गठित यूनिट अनुमोदन समिति के सदस्यों के अलावा समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :

(क) उद्योग एवं खान विभाग से कोई अधिकारी जिसे विकास आयुक्त के कार्यालय में नामित किया जाएगा;

(ख) वन एवं पर्यावरण विभाग से कोई अधिकारी जिसे विकास आयुक्त के कार्यालय में नामित किया जाएगा;

(ग) पेट्रोरसायन एवं ऊर्जा विभाग से कोई अधिकारी जिसे विकास आयुक्त के कार्यालय में नामित किया जाएगा;

(घ) श्रम एवं रोजगार विभाग से कोई अधिकारी जिसे विकास आयुक्त के कार्यालय में नामित किया जाएगा;

(2) समिति का अध्यक्ष उक्त समिति में सरकारी विभागों जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रिती के रूप में राज्य सरकार के किसी विभाग से किसी अधिकारी या विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकता है।

9. यूनिट अनुमोदन समिति के कार्य : (1) भारत सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों के अलावा यूनिट अनुमोदन समिति ऐसे ढंग जो विनियमों द्वारा निर्धारित हो सकता है, एसईजेड

के अंदर किसी यूनिट की स्थापना के लिए राज्य अधिनियमों के तहत यथास्थिति आवश्यक स्थानीय एवं राज्य स्तरीय स्वीकृतियां, अनुमोदन, लाइसेंस या पंजीकरण प्रदान करेगी, अर्थात :

(i) **यूनिट का पंजीकरण तथा राज्य के किसी अधिनियम के तहत यूनिट शुरू करने, संचालित करने एवं प्रचालित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करना;**

(ii) **कारखाना और बायलर निरीक्षणालय की ओर से कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के तहत साइट क्लीयरेंस;**

(iii) **कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के तहत कारखाना स्थापित करने के लिए प्लान को मंजूरी प्रदान करना;**

(iv) **बायलर के मुख्य निरीक्षक की ओर से बायलर का पंजीकरण;**

(v) **सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसियों तथा उपभोक्ताओं के बीच वाणिज्यिक स्वरूप के विवादों का ऐसे ढंग से समाधान करना जो विनियमों द्वारा निर्धारित हो सकता है;**

(vi) **अवसंरचना सुविधाओं एवं सेवाओं के संबंध में यूनिट तथा विकासक के बीच किसी विवाद का ऐसे ढंग से समाधान करना जो विनियमों द्वारा निर्धारित हो सकता है तथा इस संबंध में यूनिट अनुमोदन समिति का निर्णय अंतिम होगा;**

(vii) **कोई अन्य अनुमोदन या स्वीकृति जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है।**

(2) **यूनिट अनुमोदन समिति स्वयं द्वारा प्रदान की गई स्वीकृतियों, अनुमोदनों, लाइसेंसों या पंजीकरणों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी करेगी तथा ऐसी किसी स्वीकृति, अनुमोदन, लाइसेंस या पंजीकरण की किसी शर्त एवं नियम के उल्लंघन या गैर अनुपालन के लिए संगत लागू कानूनों के तहत उपयुक्त कदम उठा सकती है।**

(3) **यूनिट अनुमोदन समिति स्वयं द्वारा प्रदान की गई स्वीकृतियों, अनुमोदनों, लाइसेंसों या पंजीकरणों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी करने के लिए कोई एजेंसी नियुक्त कर सकती है तथा ऐसी स्वीकृति, अनुमोदन, लाइसेंस या पंजीकरण के पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिए अपेक्षित कोई सूचना मंगा सकती है।**

10. एकल खिड़की क्लीयरेंस : किसी अन्य कानून में कोई बात निहित होने के बावजूद राज्य सरकार, -

(i) **एक या अधिक कानूनों के तहत अनुमोदन, स्वीकृति, लाइसेंस, पंजीकरण तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए सामान्य आवेदन पत्र निर्धारित कर सकती है;**

(ii) राज्य सरकार या सरकार के किसी अधीनस्थ निकाय की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विकास आयुक्त को अधिकृत कर सकती है जो सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट हो सकती हैं;

(iii) दो या अधिक कानूनों के तहत रिपोर्टिंग के लिए एकल विवरणी निर्धारित कर सकती है;

(iv) एसईजेड में लागू कानूनों के अनुपालन की निगरानी के लिए किसी अधिकारी या एजेंसी को अधिकृत कर सकती है।

अध्याय-5 : विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति

11. क्षेत्र औद्योगिक टाउनशिप होगा : (1) एसईजेड के क्षेत्र में प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावित नगरपालिका सेवाओं तथा ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र को भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(क्यू) के उपबंध (1) के परंतुक के तहत औद्योगिक टाउनशिप एरिया के रूप में माना जाएगा।

(2) उस समय लागू किसी अन्य कानून में कोई बात निहित होने के बावजूद एसईजेड का क्षेत्र राज्य के कानूनों के तहत गठित किसी नगर निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत या अधिसूचित क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के दायरे से बाहर हो जाएगा।

12. विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति : (1) एक विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति होगी जिसके सदस्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात :

(i) विकासक या उसका नामिती;

(ii) एसईजेड का विकास आयुक्त या उसका नामिती;

(iii) राज्य सरकार का नामिती।

(2) विकासक या उसका नामिती विकास समिति का अध्यक्ष होगा।

(3) विकास समिति अपनी बैठकों में यूनिटों के प्रतिनिधियों, निवासियों, सेवा प्रदाताओं तथा अन्य इच्छुक व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकती है।

(4) विकास समिति की बैठक ऐसे स्थान पर होगी तथा यह अपनी बैठकों में अपने कार्य के निष्पादन के लिए प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जिसे यह उपयुक्त समझे।

13. विकास समिति के कार्य : विकास समिति ऐसे ढंग से निम्नलिखित कार्य संपन्न करेगी जो विनियमों द्वारा निर्धारित हो सकता है, अर्थात :

(1)

(क) प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन में एसईजेड के विकास के लिए योजना तैयार करना और औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं आवासीय प्रयोजनों के लिए तथा अन्य प्रयोजनों के लिए प्लान के अनुसार स्थल सीमांकित करना और विकसित करना;

(ख) अवसंरचना तथा आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना;

(ग) बिक्री या पट्टा या अन्यथा के माध्यम से वाणिज्यिक, औद्योगिक, आवासीय या अन्य प्रयोजनों के लिए भूखंड आवंटित करना एवं अंतरित करना;

(घ) भवनों के निर्माण को विनियमित करना।

(2) एसईजेड की सीमाओं या इसकी सीमाओं में किसी परिवर्तन को निर्धारित करने वाली सारवान चारदीवारी खड़ी करना।

(3) सुनिश्चित करना कि यूनिटों तथा निवासियों को निम्नलिखित बुनियादी एवं आवश्यक आधारभूत सुविधाएं एवं अवसंरचना उपलब्ध हैं, अर्थात :

i. सार्वजनिक सड़कें, पुल, सबवे, पुलिया, काजवे तथा इसी तरह की अन्य वस्तुएं;

ii. सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं;

iii. विद्युत आपूर्ति;

iv. जलापूर्ति;

v. पर्याप्त ड्रेन, ड्रेनेज की सुविधाएं तथा सार्वजनिक शौचालय, वाटर क्लोजेट, पेशाबघर तथा समान सुविधाएं;

vi. सीवेज का संग्रहण एवं शोधन;

vii. औद्योगिक तथा टाउनशिप ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, शोधन एवं निस्तारण;

viii. सार्वजनिक सड़कों, नगर निगम के बाजारों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों की लाइटिंग;

ix. सार्वजनिक स्मारकों, खुले स्थानों तथा अन्य सार्वजनिक संपत्ति का अनुरक्षण।

(4) सुनिश्चित करना कि एसईजेड के विकास तथा यूनिटों एवं निवासियों की आवश्यकताओं के अनुसरण में यूनिटों और निवासियों को निम्नलिखित सामाजिक अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध हैं, अर्थात :

i. सार्वजनिक अस्पताल एवं औषधालय;

ii. एंबुलेंस सेवा;

iii. मृतकों तथा लावारिस शवों के निस्तारण के लिए स्थान;

iv. सार्वजनिक बाजार, बूचड़खाना;

v. **प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए स्कूल;**

vi. **जच्चा – बच्चा कल्याण गृह एवं केंद्र;**

vii. **सार्वजनिक पार्क, उद्यान, खेल के मैदान तथा मनोरंजन की सुविधाएं;**

viii. **पुलिस स्टेशन;**

ix. **फायर बिग्रेड का अनुरक्षण जिसमें आग बुझाने के लिए उपयुक्त उपकरण हों तथा आग से जान-माल की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था हो;**

x. **कोई अन्य सामाजिक सेवा।**

(5) **अस्वास्थ्यकर बस्तियों का उद्धार, अनिष्टकर वनस्पतियों को हटाना तथा सभी विघ्नों को दूर करना।**

(6) **बॉम्बे विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1953 तथा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के तहत विवाहों तथा जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण।**

(7) **बॉम्बे जिला टीकाकरण अधिनियम, 1892 के प्रावधानों के अनुसरण में सार्वजनिक टीकाकरण का आयोजन करना।**

(8) **घातक बीमारियों की रोकथाम तथा उनके फैलाव को रोकना।**

(9) **अनधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण का निवारण।**

(10) **सड़कों, पुलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर या में बाधाओं को दूर करना।**

(11) **सार्वजनिक स्थानों एवं सड़कों का नामकरण करना तथा नंबरिंग करना और परिसरों की नंबरिंग करना।**

(12) **विकासक द्वारा प्रदान की गई आधारभूत सुविधाओं एवं सेवाओं के लिए प्रभारों का निर्धारण करना।**

(13) **विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नगर आयोजना के मानकों की निगरानी करना।**

(14) **ऐसे अन्य कार्य जो प्राधिकरण द्वारा आवंटित किए जा सकते हैं।**

अध्याय-6 : अवसंरचना सुविधाएं

14. **अवसंरचना सुविधाएं एवं सेवाएं : (1) एसईजेड में सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अवसंरचना सुविधाओं एवं सेवाओं में से किसी या सभी का विकास करना, निर्माण करना, संस्थापित करना, प्रचालित करना, प्रबंधन करना एवं अनुरक्षण करना एसईजेड के विकासक की जिम्मेदारी होगी, अर्थात :**

(i) **विद्युत का उत्पादन एवं आपूर्ति;**

(ii) **जल निष्कर्षण, शोधन, पारेषण एवं वितरण;**

(iii) **अपशिष्ट जल शोधन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन;**

(iv) **लघु पत्तन तथा संबंधित सेवाओं का प्रावधान;**

(v) **सड़कों एवं पुलों का प्रावधान;**

(vi) **गैस वितरण नेटवर्क के लिए प्रावधान;**

(vii) **संचार तथा डाटा नेटवर्क पारेषण के लिए प्रावधान; और**

(viii) **कोई अन्य सेवा जो विनियमों द्वारा निर्धारित हो सकती है।**

(2) **विनियमों के अधीन विकासक उपधारा (1) में उल्लिखित अवसंरचना सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए ऐसे प्रयोक्ता प्रभार या शुल्क जो विकास समिति द्वारा अनुमोदित हो सकते हैं, ऐसे ढंग से जो विनियमों द्वारा निर्धारित हो सकता है, लगा सकता है।**

(3) **इस अधिनियम के तहत अवसंरचना के उत्पादों या सेवाओं के प्रावधान के लिए भारत में प्रचलित संगत अधिनियम, दिशानिर्देश, नियम एवं विनियम उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता तथा सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिए लागू होंगे।**

15. **विद्युत आपूर्ति तथा शुल्क से छूट : (1) एसईजेड में विद्युत का उत्पादन करने वाला कोई व्यक्ति राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद तथा आपूर्तिकर्ता एवं बोर्ड द्वारा सहमत शर्तों एवं नियमों पर गुजरात विद्युत बोर्ड को विद्युत की आपूर्ति कर सकता है।**

(2) एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थित यूनिट को बॉम्बे विद्युत शुल्क अधिनियम, 1958 के तहत निर्माण यूनिट के मामले में उत्पादन की तिथि से तथा सेवा यूनिट के मामले में सेवाओं की आपूर्ति की तिथि से दस साल की अवधि के लिए विद्युत शुल्क से छूट प्राप्त होगी।

16. **जल, सड़क, गैस तथा अन्य सुविधाएं : (1) विकासक या उसका एजेंट लागू सेवा मानकों के अनुपालन में एसईजेड के अंदर जल के निष्कर्षण, शोधन, पारेषण और वितरण के लिए प्रणालियां एवं सुविधाएं स्थापित कर सकता है।**

(2) विकास या उसका एजेंट लागू सेवा मानकों के अनुपालन में एसईजेड के अंदर अपशिष्ट जल तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन एवं शोधन के लिए प्रणालियां एवं सुविधाएं स्थापित कर सकता है।

(3) विकासक या उसका एजेंट एसईजेड के अंदर टोल फ्री या शुल्क के साथ जो विकास समिति द्वारा अनुमोदित हो सकता है, ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऐसे ढंग से सड़क नेटवर्क, पुल, परिवहन सेवाओं तथा किसी परिवहन प्रणाली का विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण कर सकता है जो विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(4)

(क) **पत्तनों के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अधीन विकासक या उसका एजेंट एसईजेड में प्रयोग के लिए माल की उतराई के लिए तथा एसईजेड से माल के नौवहन के लिए एसईजेड के अंदर लघु पत्तन विकसित, प्रचालित एवं अनुरक्षित कर सकता है।**

(ख) **विकासक या उसका एजेंट गुजरात समुद्री बोर्ड द्वारा निर्धारित विनियमों द्वारा विहित शर्तों एवं नियमों के अनुसार अन्य कार्गो (जो एसईजेड के लिए नहीं हैं) की उतराई की व्यवस्था करेगा।**

(ग) **विकासक या उसका एजेंट गुजरात समुद्री बोर्ड के निर्देशों के अनुसरण में एसईजेड के अंदर लघु पत्तन में प्रवेश करने वाले वेजल से तथा पत्तन पर उतारे गए एवं नौपरिवहन किए गए माल पर प्रशुल्क निर्धारित कर सकता है और वसूल कर सकता है।**

(5) **विकासक या उसका एजेंट एसईजेड में गैस वितरण प्रणाली स्थापित कर सकता है।**

अध्याय-7 : श्रम

17. **विकास आयुक्त को श्रम आयुक्त की शक्तियों का प्रत्यायोजन :**

(1) **अधिनियमों की अनुसूची-1 में निहित किसी बात के होते हुए भी उन अधिनियमों के तहत विकास आयुक्त या किसी अन्य अधिकारी को प्रदान की गई शक्तियों, कर्तव्यों एवं कार्यों का प्रयोग विकास आयुक्त या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।**

(2) **आवश्यक समझे जाने पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार अनुसूची-1 को संशोधित कर सकती है और ऐसी स्थिति में अनुसूची-1 को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाएगा।**

परंतु यह कि जब सांसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम को शामिल करके अनुसूची-1 को संशोधित किया जाना हो, तो ऐसा संशोधन भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा।

18. **कुछ अधिनियमों में संशोधन : अनुसूची-2 के दूसरे कॉलम में निर्दिष्ट अधिनियमों में से प्रत्येक अधिनियम को इसके तीसरे कॉलम में इसके सामने निर्धारित ढंग से तथा सीमा तक संशोधित किया जाएगा।**

19. विभिन्न कानूनों के तहत समेकित विवरणी : एसईजेड की यूनिटें निम्नलिखित अधिनियमों के तहत आवधिक विवरणियों के स्थान पर विकास आयुक्त को निर्धारित प्रपत्र में समेकित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी, अर्थात :

(i) **कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (1923 का 8);**

(ii) **मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (1936 का 4);**

(iii) **कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63);**

(iv) **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11);**

(v) **प्रसूति लाभ अधिनिमय, 1961 (1961 का 53);**

(vi) **बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (1965 का 21);**

(vii) **संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (1970 का 35); और**

(viii) **कोई अन्य अधिनियम जिसे सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार निर्दिष्ट कर सकती है।**

परंतु यह कि जब राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य अधिनियम निर्दिष्ट किया जाना हो जो संसद द्वारा बनाया गया है, तो उसे भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निर्दिष्ट किया जाएगा।

20. एसईजेड पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1945 के अध्याय-5(घ) की प्रयोज्यता : औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1945 का अध्याय-5(घ) एसईजेड में स्थापित औद्योगिक स्थापनाओं पर लागू होगा।

अध्याय-8 : राजकोषीय लाभ

21. राज्य कर एवं लेवी : (1) एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर सभी बिक्री एवं लेनदेन पर नीचे निर्धारित सीमा तक सभी करों, उपकर, शुल्क, प्रशुल्क या किसी राज्य कानून के तहत अन्य लेवी से छूट प्राप्त होगी :

(क) **एसईजेड में अनुमोदित यूनिटों के लिए भूमि के अंतरण पर भुगतान के योग्य स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क।**

(ख) **एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित यूनिट, उद्योग या स्थापना द्वारा निष्पादित ऋण करारों, क्रेडिट विलेखों तथा बंधकों पर स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क लगाना।**

(ग) **बिक्री तथा लेनदेन पर भुगतान के योग्य बिक्री कर, क्रय कर, मोटर स्प्रिट कर, लग्जरी कर, मनोरंजन कर तथा अन्य कर एवं उपकर।**

(2) घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से एसईजेड की यूनिटों को प्रदान किए गए इनपुट (माल एवं सेवाओं) को राज्य के कानूनों के तहत बिक्री कर तथा अन्य करों से छूट प्राप्त होगी।

(3) विकासक संपूर्ण एसईजेड के लिए उपधारा (1) और (2) में प्रदान की गई छूट के लाभों के लिए भी हकदार होगा।

अध्याय-9 : विविध

22. अधिनियम का अधिभावी प्रभाव : उस समय लागू किसी अन्य कानून में कोई बात निहित होने के बावजूद इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे।

23. सदाशयता में उठाए गए कदम का संरक्षण : किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या कानूनी कार्यवाही निहित नहीं होगी जो सदाशयता में किया जाता है या इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए किसी नियम या विनियम के तहत किए जाने के लिए आशयित है।

24. सदस्य एवं कर्मचारी सरकारी सेवक होंगे : प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य, विकास आयुक्त तथा प्राधिकरण के प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा (21) के अर्थ के अंदर सरकारी सेवक समझे जाएंगे जब वे इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए किसी नियम अथवा विनियम के अनुसरण में काम कर रहे होंगे या काम करने के लिए आशयित होंगे।

25. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति :

(1) सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से तथा पूर्ववर्ती शक्ति की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव के बगैर, नियमों द्वारा निर्धारित किए जाने के लिए इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से अपेक्षित या अनुमत सभी या किसी मामले हेतु प्रावधान करने के लिए ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं।

(3) इस धारा के तहत बनाए गए सभी नियम उनके बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र परंतु कम से कम 30 दिन पहले राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे और राज्य विधानमंडल द्वारा निरसन या ऐसे संशोधन के अधीन होंगे जो राज्य विधानमंडल उस सत्र या उसके ठीक बाद होने वाले सत्र के दौरान कर सकता है जिसमें उनको इस प्रकार रखा जाता है।

(4) राज्य विधानमंडल द्वारा इस प्रकार किया गया कोई निरसन या संशोधन सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा प्रकाशित होने पर प्रभावी होगा।

26. प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति :

(1) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसे विनियम बना सकता है जो अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों से असंगत न हों।

27. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति :

(1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा राज्य सरकार ऐसे प्रावधान कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं होंगे, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो सकते हैं :

परंतु यह कि इस अधिनियम के लागू होने से 30 साल बीत जाने के बाद ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के तहत जारी किया गया प्रत्येक आदेश बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

28. **(1)** इसके द्वारा गुजरात विशेष आर्थिक क्षेत्र अध्यादेश, 2004 निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के बावजूद उक्त अध्यादेश के तहत किए गए किसी कार्य या उठाए गए किसी कदम को इस अधिनियम के तहत किया गया कार्य या उठाया गया कदम समझा जाएगा।

अनुसूची-1

(धारा 17 देखें)

क्रम सं.	संक्षिप्त शीर्षक	
1	मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936	1936 का 4
2	औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946	1946 का 20
3	बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1946	1947 का 11
4	कारखाना अधिनियम, 1948	1948 का 63
5	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948	1948 का 11
6	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947	1947 का 14
7	कामकाजी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1955	1955 का 45
8	प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961	1961 का 53
9	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	1965 का 21
10	बीड़ी एवं सिगार मजदूर (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966	1966 का 32
11	संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970	1970 का 37
12	उपदान भुगतान अधिनियम, 1972	1972 का 39
13	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	1976 का 25
14	अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979	1979 का 30
15	बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986	1986 का 61
16	विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995	1996 का 1

अनुसूची-2

(धारा 18 देखें)

क्रम सं.	अधिनियमों का नाम	संशोधन की सीमा
1	बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1946 (1947 का 11)	धारा 2 में उपधारा (4) के बाद निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाएगी, अर्थात : "(5) इस अधिनियम के प्रावधान भारत सरकार द्वारा इस प्रकार घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित उद्योग, यूनिट या स्थापना पर लागू नहीं होंगे।"
2	कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63)	धारा 66 में उपधारा (1) में परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात : "यह भी प्रावधान किया जाता है कि सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारत सरकार द्वारा इस प्रकार घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित किसी कारखाना के संबंध में उपबंध (ख) में निर्धारित समय सीमा में अंतर कर सकती है, अर्थात : (क) नियोक्ता महिला कर्मचारियों के लिए कार्य के स्थल तक आने और जाने के लिए नि:शुल्क परिवहन की सुविधाएं प्रदान करेगा। (ख) नियोक्ता कार्यस्थल पर तथा परिवहन के दौरान महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। (ग) नियोक्ता महिला कर्मचारियों के लिए अलग शिशु गृहों एवं विश्राम कक्षों की व्यवस्था करेगा।"
3	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14)	धारा 2 में खंड (एन) में उपखंड (5) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात : "(5क) भारत सरकार द्वारा इस प्रकार घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित उद्योग या स्थापना में कोई सेवा।"
4	संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37)	धारा 2 में खंड (ई) में उपखंड (2) में "संचालित'' शब्द के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात : "भारत सरकार द्वारा इस प्रकार घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र के स्थान या क्षेत्र से भिन्न।"
5	मजदूर संघ अधिनियम, 1926	धारा 22 में पहले परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक

	(1926 का 16)	जोड़ा जाएगा, अर्थात : "यह भी प्रावधान किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा इस प्रकार घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित औद्योगिक स्थापनाओं के पंजीकृत मजदूर संघों के सभी पदाधिकारी उस उद्योग में वस्तुत: तैनात या नियुक्त व्यक्ति होंगे जिससे मजदूर संघ संबंधित है।"

विवरण

भारत सरकार ने निर्यात उत्पादन के लिए अवसंरचना सुविधाओं में वृद्धि के उद्देश्य से विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित एक्जिम नीति की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने एसईजेड के विकासक तथा एसईजेड में स्थापित होने वाली औद्योगिक यूनिट के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों एवं सुविधाओं की भी पेशकश है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की संकल्पना आर्थिक एवं औद्योगिक विकास तथा रोजगार के नए अवसरों के सृजन की दृष्टि से राज्य में विशाल लाभांश प्रदान करने के लिए है। राज्य सरकार राज्य में ऐसे एसईजेड की स्थापना के संबंध में अपनी नीति घोषित कर चुकी है। राज्य में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने तथा उद्योग का क्रमबद्ध एवं समेकित विकास सुनिश्चित करने के लिए त्वरित आर्थिक विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए कानून बनाना आवश्यक समझा गया है।

राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसमें उच्च स्तर के अधिकारियों को शामिल किया गया है। एसईजेड में सभी अवसंरचना सुविधाओं एवं सेवाओं का विकास करना, निर्माण करना, संस्थापित करना, प्रचालन करना, प्रबंधन करना और अनुरक्षण करना विकासक की जिम्मेदारी है।

प्रणाली को सरल एवं कारगर बनाने तथा शीघ्रता से स्वीकृति के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रबंधन की जिम्मेदारी विकास आयुक्त को सौंपी गई है। विभिन्न श्रम कानूनों के तहत श्रम आयुक्त को प्रदान की गई सभी शक्तियां, कर्तव्य एवं कार्य विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास आयुक्त को सौंपे गए हैं। विभिन्न कानूनों के तहत अनुमोदन, स्वीकृति, लाइसेंस, पंजीकरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए एक सामान्य आवेदन पत्र तथा दो या अधिक कानूनों के लिए एकल विवरणी प्रस्तुत करने के प्रावधान के रूप में विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए एकल खिड़की प्रणाली अपनाई गई है।

एसईजेड का विकासक पानी, सड़क, पुल, गैस वितरण नेटवर्क आदि की सुविधाएं प्रदान करेगा तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र का इलाका औद्योगिक टाउनशिप होगा।

विशेष आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक यूनिटें स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों और उद्यमियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने विभिन्न राजकोषीय लाभ प्राप्त करने का प्रस्ताव किया है। जो यूनिट विशेष आर्थिक क्षेत्र में कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करना चाहती हैं उन्हें 10 साल की अवधि के लिए विद्युत कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में भूमि के अंतरण पर भुगतान के योग्य स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान की गई है तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रसंस्करण क्षेत्र में यूनिट द्वारा निष्पादित ऋण करार, क्रेडिट विलेख, बंधक पर कोई पंजीकरण शुल्क या स्टांप ड्यूटी नहीं लगेगी। बिक्री कर, क्रय कर, मोटर स्प्रिट कर, लग्जरी कर, मनोरंजन कर तथा बिक्री एवं लेनदेन पर भुगतान योग्य अन्य करों एवं उपकरों से भी छूट प्रदान की गई है। घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से यूनिटों को प्रदान किए गए इनपुट को भी राज्य के कानूनों के तहत बिक्री कर तथा अन्य करों से छूट प्रदान की गई है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में लोचपूर्ण श्रम नीति को लागू करने में श्रम कानूनों के कुछ अधिनियमनों को संशोधित किया गया है।

गांधीनगर दिनांक 10 फरवरी, 2004	(कैलाशपति मिश्र) राज्यपाल, गुजरात गुजरात के राज्यपाल के आदेश द्वारा तथा उनके नाम से (जे एन सिंह) प्रधान सचिव, गुजरात सरकार राजकीय केंद्रीय मुद्रणालय, गांधीनगर